रजिस्ट्रेशन नं. 112/15(र) 128

12

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 57 / 2024

दायर दिनांक–24.04.2024

1. काजी वसीम अकरम पुत्र मंजूर हुसैन
2. गुलशन बानो पुत्री मंजूर हुसैन
3. फायक हुसैन पुत्र ~~मंजूर हुसैन~~ अब्दुल रज्जाक
4. शकील अहमद पुत्र मंजूर हुसैन
5. सलीम अहमद पुत्र मंजूर हुसैन समस्त जाति काजी निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. अफसाना बानो पुत्री असफाक हुसैन
2. इरशाद अहमद पुत्र असफाक हुसैन
3. एजाज हुसैन पुत्र अब्दुल रज्जाक
4. रूकसाना बानो पुत्री असफाक हुसैन समस्त जाति काजी निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी :– श्री नेमीचंद डूडी

दावा बाबत घोषणा
व नक्शा दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–31.05.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2505 / 1345 रकबा 0.04500 है0 भूमि स्थित है जिसमें वादी नं0 1 का 1 / 8, वादी नं0 2 का 1 / 8, वादी नं0 3 का 1 / 2 तथा वादी नं0 4 का 1 / 8 हिंस्सा व वादी नं0 5 का 1 / 8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसी अनुसार ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.04500 है0 जो प्रतिवादीगण की भूमि है जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 1 / 6, प्रतिवादी नं0 2 का 1 / 6, प्रतिवादी नं0 3 का 1 / 2, प्रतिवादी नं0 4 का 1 / 6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। परन्तु नक्शे में खसरा नम्बर में गलती होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण आपस में सहमति से मिलकर नक्शे मे खसरा नम्बर दुरूस्त करवाने के लिए उक्त वाद पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 2505 / 1345 जो राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम है परन्तु मौके पर कब्जा प्रतिवादीगण का है इसी अनुसार खसरा नम्बर 1345 जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम से दर्ज है परन्तु मौके पर वादीगण का कब्जा है जो वादीगण ने अपने रिहायशी आवासीय मकान बना रखे है। इसलिए खसरा नम्बर 1345 का राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के नाम दर्ज किया जावे व खसरा नम्बर 2505 / 1345 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे। व इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा की जावे तथा नक्शा दुरूस्त भी इसी अनुसार किया जावे।

अतः सपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 2505 / 1345 रकबा 0.04500 है0 जो वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.04500 है0 जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिसको निम्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे खसरा नक्शा अंकित किया जावे। भूमि खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.0450 है0 का राजस्व नक्शे में वादीगण के नाम दर्ज किया जावे व वादी नं0 1 का 1 / 8, वादी नं0 2 को 1 / 8, वादी नं0 3 को 1 / 2, वादी नं0 4 को 1 / 8 व वादी नं0 5 को 1 / 8 हिस्सा दर्ज किया जावे व इसी अनुसार हिस्से की घोषणा की जावे तथा खसरा नम्बर 2505 / 1345 रकबा 0.0450 है0 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 का 1 / 6, प्रतिवादी नं0 2 का 1 / 6, प्रतिवादी नं0 3 का 1 / 2, व प्रतिवादी नं0 4 का 1 / 6 हिस्से की घोषणा की जावें व नक्शा दुरूस्त किया जावे।

नोट:- आदेशिका दिनांक 2/8/24 के अनुसरण में वादी सं. 3 फायक हुसैन पुत्र अब्दुल रज्जाक दुरूस्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

13

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 05 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री नेमिचंद डूडी उपस्थित न्यायालय होकर इकबालिया जबाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर तथा शेष प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जबाब पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी व प्रतिवादी की ओर से शहादत नही पेश कर वाद अनुसार निर्णय जारी करने हेतु सहमति दी गई। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2078–78, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2075–78 प्रदर्श 3 नजरी नक्शा व प्रदर्श 4 नजरी नक्शा आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी व नजरी नक्शा के अनुसार विवादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड की भूमि है परन्तु राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 1345 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है परन्तु उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 2505/1345 वादीगण के नाम से दर्ज है परन्तु उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त दोनों खसरा नम्बर में भूमि का क्षैत्रफल समान है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने पर सहमति व्यक्त करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.0450 है0 भूमि में वादी नं0 1 को 1/8, वादी नं0 2 को 1/8, वादी नं0 3 को 1/2, वादी नं0 4 को 1/8 व वादी नं0 5 को 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2505/1345 रकबा 0.04500 है0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 को 1/6, प्रतिवादी नं0 2 को 1/6, प्रतिवादी नं0 3 को 1/2, व प्रतिवादी नं0 4 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/05/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रैक) नवलगढ़

14

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व दुरूस्ती नक्शा

मुकदमा सं0:– 57 / 2024 **(काजी वसीम अकरम बनाम अफसाना बानो आदि)**

यहं मुकदमां आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.05.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.0450 है0 भूमि में वादी नं0 1 को 1/8, वादी नं0 2 को 1/8, वादी नं0 3 को 1/2, वादी नं0 4 को 1/8 व वादी नं0 5 को 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खिरोड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2505/1345 रकबा 0.04500 है0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 को 1/6, प्रतिवादी नं0 2 को 1/6, प्रतिवादी नं0 3 को 1/2, व प्रतिवादी नं0 4 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.05.02024 को जारी की गई।

हवाई सिंह यादव (R.A.S.) 31/05/24
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रुपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00